

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-13/2017///

दिनांक: 03/01/2018

—आदेश—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	श्री रामराज रैगर, नर्स प्रथम	टोंक	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन, नर्स प्रथम	टोंक	17.07.90	17.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	श्री त्रिलोकचंद वर्मा, नर्स प्रथम	टोंक	20.07.90	20.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	श्री दिनेश चंद शर्मा, नर्स प्रथम	प्रतापगढ़	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	श्री उमेश कुमार शर्मा, नर्स प्रथम	भरतपुर	28.07.90	28.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	श्री रमेश चन्द, नर्स प्रथम	अलवर	01.08.90	01.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7.	श्री अजय चतुर्वेदी, नर्स प्रथम	झालावाड़	17.05.87	17.05.14 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	श्री रतन सिंह राजपुरोहित, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	श्रीमती सीमा पंवार, नर्स प्रथम	झालावाड़	30.07.99	30.07.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
10.	श्री जगमाल राम, नर्स द्वितीय	जोधपुर	16.11.98	16.11.16 18 वर्ष	9300-34800	5400

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक: 03/01/18

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-13/2017/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़/झालावाड़/पाली/जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर